संख्या- 1/2025/36/2025/002

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा के संचालन के लिए गैर वेतन मद में द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा संपन्न कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय प्रावधानित बजट रुपये 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हज़ार मात्र) बजट प्रावधान के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में आपके निवर्तन पर शासनादेश संख्या-163/इक्कीस-उर्दू-2/2024 दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि रुपये 1,25,000/-(रुपये एक लाख पच्चीस हज़ार मात्र) वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी । आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते हुए अपने पत्र संख्या: कोष/5758-64/2024-25 दिनांक: 20-02-2025 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि 1,25,000/- रूपये के सापेक्ष मात्र रूपये 19,555/- निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या-163/इक्कीस-उर्दू-2/2024/001-21-10025-1-2023-2-10 दिनांक 09 अक्टूबर,2024 के अनुक्रम में सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मानक मद-20 में द्वितीय किस्त के रूप में रुपये 19,555/- (रुपये उन्नीस हजार पांच सौ पचपन मात्र)) की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1- (1)उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी/ रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा व्यय की जाएगी और परीक्षा सम्बन्धी औपचारिकताओं के पूर्ण होने एवं आवश्यक व्ययों के पश्चात द्वितीय किस्त की धनराशि का लेखा-जोखा एवं निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषण किया जाना सुनिश्चित करें

(2) उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के अन्तर्गत निहित प्राविधान लागू होंगें।

2- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2024 /बी-1-294 /दस-2024-231 /2024 दिनाँक: 04 मार्च, 2024 एवम यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या/:4/ 2024/बी-1-607/दस-2024-231/ 2024 दिनांक 19 जून,2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,555/- (रुपये उन्नीस हजार पाँच सौ पचपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202051020600 राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-313/दस-2024-25, दिनांक- 03 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-36(2) /2025/002-21-10025-1-2023-2-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- नोडल अधिकारी, आनलाइन बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ0प्र0हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
7- आहरण-वितरण अधिकारी, भाषा विभाग |
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
9- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4 ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मो0 आसिम रिज़वी)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।